

3022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा में पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट ने आदेशिका पर लिखित में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का अंतिम निस्तारण हो चुका है। लिहाजा हस्तगत अपील प्रभाव हीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभाव हीन होने से विधिनुसार खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट्स की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत अपील विचारण न्यायालय के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की हुई है। वकील अपीलांट के कथनानुसार विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का अंतिम निर्णय हो जाने से हस्तगत अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभाव हीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रति सूचनार्थ भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दारिखल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर

अपील प्र  
दोष  
लोकादाल  
खारिज  
4/11/20  
(A-R-88)